कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
(नियोजन–2)
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग,देहरादून।
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttrakhand
Phone&Fax:-0135-2530467,2530431
Web-http://govt.ua.nic.in/pwd
E-Mail-cepwdua@rediff.com
E-Mail-cepwdua@gmail.com

पत्रांक–110 / 174पंजीकरण–नि0–2 / 2020 दिनांक 11 / 02 / 2021

:: कार्यालय ज्ञाप ::

मै0 एम0एस0 एसोसिएटस सूरज कुण्ड बागेश्वर (प्रथम पार्टनर श्री हरीश सिंह ऐठानी, द्वितीय पार्टनर श्रीमती देवकी देवी ऐठानी एवं तृतीय पार्टनर श्रीमती वन्दना ऐठानी) का इस कार्यालय के पत्र संख्या–181 / 175पंजीकरण–नि0–2 / 2020 दिनांक 20.02.2020 द्वारा मार्ग कार्य श्रेणी 'ए' में एवं पत्र संख्या–1242 / 174 पंजीकरण–नियो0–2 / 2019, दिनांक 28.12.2019 द्वारा सेतु कार्य श्रेणी 'ए' में दिनांक 30.06.2022 तक लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत ठेकेदारों की सूची श्रेणी 'ए' में पंजीकरण किये जाने के आदेश पारित किये गये थे।

प्रकरण में अनु सचिव, लोक निर्माण अनुभाग–1 के पत्र संख्या–1047 / III(1) / 20–02 (18) / जांच / 20, दिनांक 24.07.2020 में उल्लिखित मा0 विधायक श्री बलवन्त भौर्याल विधानसभा क्षेत्र कपकोट द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त फर्म के 02 पार्टनर श्री हरीश ऐठानी एवं श्रीमती वन्दना ऐठानी जनपद बागेश्वर के जिला पंचायत क्षेत्र शामा तथा बडैत से जिला पंचायत सदस्य है, के सम्बन्ध में शासन द्वारा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु इस कार्यालय को निर्देशित किया गया। जिस पर जिलाधिकारी बागेश्वर द्वारा अपने पत्र संख्या–290 / 23–01 / वि0लि0–सं0 / 2020–21 दिनांक 15.01.2021 द्वारा श्री हरीश ऐठानी एवं श्रीमती वन्दना ऐठानी जनपद बागेश्वर के जिला पंचायत क्षेत्र शामा तथा बडैत से जिला पंचायत सदस्य है, की पुष्टि करते हुये सूचना से इस कार्यालय को अवगत कराया गया है।

मै0 एम0एस0 एसोसिएटस सूरज कुण्ड बागेश्वर (प्रथम पार्टनर श्री हरीश सिंह ऐठानी, एवं तृतीय पार्टनर श्रीमती वन्दना ऐठानी) वर्तमान समय में जनपद बागेश्वर के जिला पंचायत क्षेत्र शामा तथा बडैत से जिला पंचायत सदस्य के पद पर आसीन होने के कारण उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित विधायी परिशिष्ट भाग 1 खण्ड–'क' दिनांक–07.04.2016 विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग के पत्र संख्याः–128 / XXXV(3) / 2016 / 20–(1) / 2016 दिनांक–07.04.2016 से जारी अधिसूचना के अनुच्छेद 107 में जिला पंचायत के क्रमंशः अध्यक्ष / उपाध्यक्ष एवं अधिकारी या सेवक को भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अर्थ में लोक सेवक समझा जायेगा, उल्लिखित किया गया है।

अतः उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में इस कार्यालय के उपरोक्त ज्ञाप दि0 28.12.2019 एवं ज्ञाप दिनांक 20.02.2020 द्वारा **मै0 एम0एस0 एसोसिएटस सूरज कुण्ड बागेश्वर का लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मार्ग / सेतु कार्यो हेतु ठेकेदारों की सूची श्रेणी 'ए' में किये गये पंजीकरण आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते है।**

ह0/-
(इं0 गोकर्ण सिंह पांगती)
मुख्य अभियन्ता (नियो0)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, बागेश्वर को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 15.01.2021 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. अनु सचिव, लोक निर्माण अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन को शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 24.07.2020 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय / रा0मा0 / ए0डी0बी0 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / वर्ल्ड बैंक, लोक निर्माण विभाग पौडी / अल्मोडा / देहरादून / हल्द्वानी ।
4. अधीक्षण अभियन्ता....................वॉ वृत्त, लो.नि.वि................को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश से अपने अधीनस्थ खण्डों को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
5. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0) विभगाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून।
6. मै0 एम0एस0 एसोसिएटस सूरज कुण्ड बागेश्वर ।
7. पत्रावली संख्या–175 पंजीकरण / नियोजन–2 / 2020 हेतु।
8. गार्ड पत्रावली।

11-2-21

मुख्य अभियन्ता (नियो0)

06/02/2021